

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 2(1)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक 14-3-12

-: आदेश :-

इस विभाग के आदेश संख्या प.2(1)साप्र/2/2011 दिनांक 6.2.2012 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं :-

क.सं.	नाम व पद	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1	श्री जे. आर. लोहिया अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	46/2010	II-19, गांधीनगर	30.9.2014
2	श्री पियुष कुमार गुप्ता अधिकाधी अभियन्ता कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, वास्ते मुख्य अभियन्ता एवं तकनीकी सदस्य राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	9/2011	एन-26, गांधीनगर	31.5.2018
3	डॉ० रणजीत सिंह उप निदेशक (पंजीयन) निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर	10/2011	II-44, गांधीनगर जयपुर	30.9.2019
4	श्री जितेन्द्र सिंह ढाका अधिकाधी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड -I, जयपुर	45/2011	701, मॉडल टाउन, जयपुर	31.10.2030
5	श्री रणधीर सिंह आर.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	46/2011	703, मॉडल टाउन, जयपुर	31.3.2016
6	श्री प्रकाश अम्बेश अधिकाधी अभियन्ता जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (नीतिगत निर्णय)	47/2011	704, मॉडल टाउन, जयपुर	31.10.2033

आज्ञा से




(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. आयुक्त उद्योग विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-I, जयपुर।
10. निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
11. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावे।

13. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
14. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
16. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17. श्री प्रकाश अम्बेश, अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् मॉडल टाउन, मालवीयनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।
18. संबंधित अधिकारीगण।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.प्र.वि.।
20. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग।
21. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव